**मूल वाद में डिक्री**

**(आदेश 20 के नियम 6 और 7)**

**न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) भादरा**

**(पीठसीन अधिकारी प्रशासन गांव के संग/कैम्प कोर्ट 2021)**

**पीठसीन अधिकारी :– श्रीमती शकुन्तला चौधरी आर०ए०एस०**

उनवान

केशरा बनाम निम्बो आदि

दावा बाबत :– 88 RTAct

मुकदमा नम्बर :– 366/2021

निर्णय दिनांक :– 09-12-2021

वादी की ओर से वकील मुरलीधर गोस्वामी की व प्रतिवादी सं० 1 ता 3 की ओर से वकील सरजीत बिश्नोई की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 9-12-2021 को मुझ शकुन्तला चौधरी सहायक कलक्टर फास्ट ट्रैक भादरा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश दिया जाता है कि रोही मौजा जिगासरी बड़ी के खाता सं० 21/25 के खसरा सं० 376 की 4.970 हे० बारानी कृषि भूमि मे वादी केशरा के नाम से 2333/4970 हिस्सा व प्रतिवादी सं० 1 निम्बो के नाम से 684/2485 हिस्सा एवं प्रतिवादी सं० 2 बिमला के नाम से 1269/9940 हिस्सा एवं प्रतिवादी सं० 3 मन्जु के नाम से 1269/9940 हिस्सा खातेदारी राजस्व रिकार्ड मे दर्ज है उक्त वर्णित वादभूमि मे से प्रतिवादी सं० 1 निम्बो, प्रतिवादी सं० 2 बिमला, प्रतिवादी सं० 3 मन्जु का नाम कलमजद किया जाकर वादी केशरा को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है चूंकि प्रतिवादी सं० 1 ता 3 ने अपना सम्पूर्ण हक व हिस्सा वादी के पक्ष मे त्याग कर शून्य कर लिया है इसलिए त्याग किये गये हिस्से पर पंजीयन शुल्क अदा करने व यदि बैंक के रहन हो तो रहनमुक्त होने के उपरान्त ही राजस्व रिकार्ड मे अमल दरामद किया जावे तथा पक्षकारान को डिक्री का भाग पढ़ा जावे।

खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 9-12-21 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(शकुन्तला चौधरी)
R.A.S.
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) भादरा
प्र.गा. के संग अ.-2021
केम्प ........

Scanned with CamScanner